



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 866] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940  
No. 866] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 2018

**सा.का.नि. 1174 (अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 2012 को, अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में समूह "क" वैज्ञानिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "आयु" से दूसरी अनुसूची के भाग II, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा अभिप्रेत है ;

(ख) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है ;

(ङ) "विभाग" से जैव प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है ;

(च) "पद" से पहली अनुसूची के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वैज्ञानिक का पद अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट है।

#### 4. शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव, भर्ती की पद्धति, आदि :

(1) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं वह होगी, जो दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट है और जैव प्रौद्योगिकी के विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जो संबद्ध पद के लिए अपेक्षित हो, पदों को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और विज्ञापन में उपदर्शित किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा दूसरी अनुसूची के भाग 2 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं अभिप्राप्त करने के पश्चात् औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी संगठन में प्राप्त किया गया अनुभव होगा।

(3) (i) वैज्ञानिक एच या स्तर 15 के स्तर के पद के लिए अभ्यर्थी वरिष्ठ स्तर का वैज्ञानिक, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से संभालने की योग्यता का अनुभव रखता हो जैसा कि अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट है।

(ii) नियंत्रक प्राधिकारी, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव की ठीक प्रकृति विनिश्चित करेगा, जिसे उक्त पद के लिए विज्ञापन में उपदर्शित किया जाएगा।

(4) (i) वैज्ञानिक 'सी' पद के लिए भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(ii) वैज्ञानिक एच या स्तर 15 के स्तर के पद के लिए भर्ती, सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन के आधार पर की जाएगी।

(iii) पद के विज्ञापन के पूर्व वैज्ञानिक एच या स्तर 15 की प्रत्येक रिक्ति के लिए नियुक्ति की विशिष्ट पद्धति के बारे में नियंत्रण प्राधिकारी विनिश्चित करेगा और इसे नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार उपदर्शित किया जाएगा।

(iv) वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' पद के लिए भर्ती, तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान श्रेणी में न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि पूरा करने पर, उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने की जाएगी।

(5) कोई भर्ती या पुष्टि नियम 4 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति, नियम 10 में विनिर्दिष्ट समितियों की सिफारिश पर की जाएगी।

(6) नियम 4 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट समितियां नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन भर्ती की पद्धति के अधीन भरे गए पदों के लिए अभ्यर्थी के साथ आयोजित साक्षात्कार के आधार पर उनकी सिफारिशें कर सकेंगी, और नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (iv) के अधीन भर्ती की पद्धति द्वारा सभी विभाग में वैज्ञानिकों के साक्षात्कार और पत्र निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर भरे जाएंगे:

वशर्ते: पदों पर भर्ती करने के लिए, नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन गठित समिति मूल्यांकन या चयन (अभ्यर्थियों की संख्या सहित विज्ञापित रिक्तियों के लिए बुलाने हेतु) कार्यप्रणाली का अनुपालन करेगी। जिसे पद के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया है।

(7) नियम 4 के उपनियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख या अभ्यर्थी के कार्य ग्रहण करने की तारीख, जो भी बाद में हो, की तारीख से प्रभावी होगा।

**5. आयुसीमा और राष्ट्रीयता :** (1) सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा वह होगी, जो दूसरी अनुसूची के भाग 2 के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए वैज्ञानिक "एच" के पद के लिए ऊपरी आयुसीमा अठावन वर्ष होगी।

(3) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपमंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(4) नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में केवल भारतीय नागरिक वैज्ञानिक "सी" और वैज्ञानिक "एच" के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

**6. सीधी भर्ती:** (1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन और नियम 10 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट गठित समिति की सिफारिशों पर दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी नियम 4 के उपनियम (6) और उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट रीति में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(2) यदि किसी विभागीय अभ्यर्थी का किसी पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयन हो जाता है तो पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(3) सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'एच' के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे।

(4) उपनियम (3) के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी का पुष्टिकरण नियम 10 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट विभागीय पुष्टिकरण समिति द्वारा किया जाएगा।

**7. आमेलन :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अभ्यर्थी उक्त नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन उक्त नियम के उपनियम (5), उपनियम (6) और उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट रीति में आमेलन के लिए पात्र होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होंगे, अर्थात् :-

(क) अभ्यर्थी दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ; और

(ख) अभ्यर्थी उस पद के सदृश पद धारण करता हो, जिसके लिए उसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पद के लिए आवेदन किया हो।

**8. प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी सांविधिक निकायों या संस्थानों और सरकार द्वारा वित्तपोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संगठन या संस्थान के अभ्यर्थियों को नियम 4 के उपनियम (5), (6) और (7) में नियम 4 के उपनियम (4) खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होंगे, अर्थात् :-

(i) अभ्यर्थी दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; और

(ii) अभ्यर्थी उस पद के सदृश पद धारण करता हो, जिसके लिए उसने आवेदन किया है या उसने मूल काडर या विभाग में इससे ठीक पहले के निचले पद पर नियमित आधार पर कम से कम पांच वर्ष काम किया हो।

(iii) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों हेतु आयुसीमा के बारे में नियम 5 के उपनियम (1) के उपबंध लागू होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष होगी।

(3) पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियां, नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति के आधार पर केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।

### 9. उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम (स्वस्थाने प्रोन्नति में) के माध्यम से प्रोन्नति :

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अनुसार विभागीय वैज्ञानिकों की स्वस्थाने प्रोन्नति, केवल वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी', के ग्रेड में लागू होगी। जो संबन्धित वैज्ञानिकों की वैयक्तिक प्रोन्नति मानी जाएगी।

(2) यदि यथास्थिति, नियम 10 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समिति को यह पता चलता है कि, यथास्थिति, वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'ई' या वैज्ञानिक 'एफ' या वैज्ञानिक 'जी' के पदों पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त है और ऐसे पद उस समय स्वीकृत पद संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'ई' या वैज्ञानिक 'ई' से वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी' के पदों को उन्नत करके प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(3) पदधारियों की कुल संख्या वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' को शामिल करते हुए पदों की कुल स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होगी इस प्रतिबद्धता के अलावा पदों में पूर्णतः अंतःसंपरिवर्तनीयता बनी रहेगी।

(4) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि अर्थात् अर्हक सेवा प्रत्येक श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपेक्षित होगी।

(5) किसी वैज्ञानिक की सेवानिवृत्ति या पदत्याग या मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त हुआ पद वैज्ञानिक 'सी' के निम्नतम स्तर, जिस पर उस समय स्पष्ट रिक्ति विद्यमान है, पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

- (6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के माध्यम से प्रोन्नति के लिए समीक्षा एक वर्ष में दो बार की जाएगी।
- (7) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन जनवरी से जून के दौरान प्रोन्नति के लिए परिपक्व मामलों की उस वर्ष के अप्रैल मास में समीक्षा की जाएगी, जबकि जुलाई से दिसंबर मास के दौरान प्रोन्नति के लिए परिपक्व मामलों की उसी वर्ष के अक्टूबर मास में समीक्षा की जाएगी।
- (8) इस स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की प्रोन्नति की तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख या पदभार ग्रहण करने की तारीख, जो भी बाद में हो, मानी जाएगी।
- (9)(क) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन वैज्ञानिकों का दो स्तरीय मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ख) पहले चरण में पहले आंतरिक स्तर पर जांच होगी और दूसरे चरण में बाह्य समिति द्वारा जांच की जाएगी जिसमें बाह्य सदस्यों की बहुलता होगी।
- (ग) प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन बोर्ड में ऐसे सदस्य अधिक संख्या में होंगे, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों और वरिष्ठता के बजाय सक्षम व्यक्तियों के समूह द्वारा उपलब्धियों के स्वतंत्र मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाएगा।
- (घ) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के फायदे को विभाग के वैज्ञानिकों के लिए विस्तारित किया जाएगा, जो नए वैज्ञानिक ज्ञान के सृजन या नवीन इंजीनियरी प्रौद्योगिकी या चिकित्सा तकनीक से जुड़े हैं या जो व्यावसायिक अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग में गहन रूप से शामिल हैं।
- (10) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के पात्र सभी वैज्ञानिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, चौथी अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक कार्य रिपोर्ट फॉर्मेट (भाग क) के अनुसार भरेंगे और प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन होने पर प्राप्त करेंगे।
- (11)(क) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए वह वैज्ञानिक पात्र होगा जो वैज्ञानिक 'डी' के लिए "बहुत अच्छा" बेंचमार्क प्राप्त करते हैं और उपर्युक्त नियम 10 के उपनियम (4) के खंड (क) और खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आंतरिक (जांच) समिति द्वारा जांच की जाएगी, जो उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन उन्नयन मानदंड के संबंध में वार्षिक कार्य रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगी।
- (ख) चौथी अनुसूची में वार्षिक कार्य रिपोर्ट के भाग 'ग' में विभाग के वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक अंतर्वस्तु पर वार्षिक कार्य रिपोर्ट, बाह्य मूल्यांकन समिति (विभागीय मूल्यांकन समिति या विभागीय प्रमुख समीक्षा समिति) को नियम 4 के उपनियम (5) और नियम 10 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्टानुसार उपलब्ध कराएगी।
- (12) सभी उत्कृष्ट श्रेणी वाले आपवादिक मेधावी अभ्यर्थी अर्थात् अर्हक सेवा के अभ्यर्थियों की कार्य अवधि में छूट एक अवसर पर एक वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी और ऐसी छूट समस्त सेवा काल में अधिकतम दो वर्ष तक सीमित रहेगी।
- (13) नियम 10 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट और नियम 4 के उप नियम (5) के अधीन गठित बाह्य मूल्यांकन समिति अर्थात् विभागीय मूल्यांकन समिति वैज्ञानिक 'सी' और 'डी' की दो स्तरीय बाह्य जांच करेगी और एक उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन विचार के लिए योग्यता उचित ठहराते हुए किए गए कार्य की अंतर्वस्तु निर्दिष्ट करेगी और प्रमाणित करेगी कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन यथावत मानदंड को पूरा करेंगे।
- (14) नियम 10 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट और नियम 4 के उप नियम (5) के अधीन गठित बाह्य मूल्यांकन समिति अर्थात् विभागीय विशिष्ट समीक्षा समिति सारांश के माध्यम से उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन विचार के लिए योग्यता उचित ठहराते हुए किए गए कार्य की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करेगी और वैज्ञानिक 'ई' और 'एफ' के मामले में दो स्तरीय बाह्य जांच करेगी और प्रमाणित करेगी कि उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन वे यथावत उन्नयन के लिए सभी मानदंड पूरे करते हैं।
- (15) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से दी गई स्वस्थाने प्रोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- (16) एफ आर 51 के अधीन भारत या विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे या अध्ययन छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों के मामलों पर उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन उस तारीख से, जिसको वे न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि पूरी करेंगे अगली उच्च श्रेणी में स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे तथा जैसे कि वे प्रशिक्षण या अध्ययन छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर नहीं थे जो निम्न शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी :-
- (i) ऐसे प्रशिक्षण या अध्ययन छुट्टी या प्रतिनियुक्ति को एफआर 9(6ख) के अधीन छूट्टी पर माना गया हो;

(ii) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों को अनुमोदित किया गया हो।

(17) सेवा की निम्नलिखित अवधि अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए आवश्यक रूप से निम्नतर श्रेणी में रखी जाने वाली न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि के गणना में शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर व्यतीत अवधि;

(ii) अध्ययन छुट्टी की अवधि या शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार के लिए ली गई अध्ययन छुट्टी या कोई अन्य छुट्टी ;

(iii) मातृत्व अवकाश की अवधि और एक वर्ष की अवधि तक मातृत्व अवकाश की निरंतरता में ली गई छुट्टी ;

(iv) एक सौ अस्सी दिन तक अर्जित अवकाश की अवधि।

(18) गैर वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर व्यतीत की गई अवधि और चिकित्सीय आधार पर छुट्टी की अवधि जैसे एक समय पर एक सौ अस्सी दिन से अधिक अवधि के लिए अनुमोदित अर्जित असाधारण छुट्टी या वैयक्तिक आधार पर ली गई छुट्टी को न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि की प्रति के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(19) पद पर तदर्थ सेवा, अनर्हत सेवा को अपवर्जित करते हुए, दी गई नियमित सेवाएं उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए समीक्षा समिति के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

(20) ऐसे वैज्ञानिक जो, यथास्थिति नियम 10 के उप नियम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट और नियम 4 के उप नियम (5) के अधीन गठित बाह्य मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात् प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसी समीक्षा की तारीख से एक वर्ष के व्यपगत हो जाने के पश्चात् अगली समीक्षा के लिए पात्र हो जाएगा।

(21) यदि कोई वैज्ञानिक तीन अनुक्रमिक वर्षों के दौरान उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए अर्हित नहीं होता है तो वह उपांतरित निश्चित कैरियर प्रगति स्कीम के अधीन सेवा के 10/20/30 वर्ष पूरा करने पर अगली उच्चतर श्रेणी में उन्नयन के लिए पात्र होगा और उक्त श्रेणी में विहित रेजीडेन्सी को पूरा करने के पश्चात् वैज्ञानिक पर उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में उन्नयन के लिए विचार किया जाएगा।

(22) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति पर विचार करने के लिए अनुसरित किया जाने वाला मानदंड पांचवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(23) उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति पर विचार करने के लिए क्षेत्रगत अनुभव का मानदंड छठी अनुसूची के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होगा।

10. समितियों का गठन.- पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती या आमेलन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के लिए विशेषज्ञ चयन समिति, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या (1)	पद का नाम (2)	समिति की संरचना (3)
1	वैज्ञानिक 'सी'	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव - अध्यक्ष</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले विभाग के बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य जो स्तर-14 के नीचे के अधिकारी न हों - सदस्य</li> <li>प्रशासन विभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव- प्रशासनिक सदस्य</li> </ul>
2.	वैज्ञानिक 'एच'	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव - अध्यक्ष</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले बाहरी वैज्ञानिक विभाग के बाहर के दो सचिव - सदस्य</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले विभाग के बाहर के ऐसे दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों - सदस्य</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित - प्रशासनिक सदस्य</li> </ul>

(2) बाह्य मूल्यांकन समिति, अर्थात्, - नियम 9 के उपनियम (13) के अंतर्गत गठित विभागीय मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

पद का नाम	विभागीय मूल्यांकन समिति का गठन
-----------	--------------------------------

(1)	(2)
वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'डी' और वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'ई'	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव - अध्यक्ष</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले विभाग के बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य जो स्तर-14 के नीचे के अधिकारी न हों - विशेषज्ञ सदस्य</li> <li>संयुक्त सचिव जो विभाग के प्रशासन प्रभारी हों - प्रशासनिक सदस्य</li> </ul>

(3) बाह्य मूल्यांकन समिति, अर्थात्, - नियम 9 के उपनियम (13) के अंतर्गत गठित विभागीय प्रमुख समीक्षा समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

पद का नाम (1)	विभागीय मूल्यांकन समिति का गठन (2)
प्रोन्नति के लिए (क) वैज्ञानिक 'ई' से वैज्ञानिक 'एफ'	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव - अध्यक्ष</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्देशित दो सचिव वैज्ञानिक विभाग के हो या उनके प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों - सदस्य</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो कि संयुक्त सचिव के श्रेणी से नीचे के न हों और वे वैज्ञानिक क्रियाकलाप में विशेषज्ञता रखते हों ।</li> </ul>
वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी'	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव - अध्यक्ष</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा दो अन्य वैज्ञानिक विभाग के बाहर के सचिव (या उनके प्रतिनिधि जो कि कम से कम अपर सचिव श्रेणी के हों) - सदस्य</li> <li>विभाग के सचिव द्वारा दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो कि संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे के न हों और वे वैज्ञानिक क्रियाकलाप में विशेषज्ञता रखते हों - सदस्य</li> <li>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामनिर्देशित ऐसे अधिकारी जो अपर सचिव श्रेणी से नीचे के न हों - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</li> </ul>

(4) नियम 4, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों को लघुसूची तैयार करने के लिए आंतरिक जांच समिति, जिसकी रिपोर्ट नियम 10, उपनियम (1),(2) और (3) में संदर्भित समिति के समक्ष रखी जाएगी, ऐसी समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पद का नाम	समिति का गठन
(1)	(2)	(3)
1.	निम्न पद से प्रोन्नति के लिए (i) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'डी' (ii) वैज्ञानिक 'डी' से वैज्ञानिक 'ई' (iii) वैज्ञानिक 'ई' से वैज्ञानिक 'एफ'	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव या कोई वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' की पंक्ति से नीचे का न हो - अध्यक्ष</li> <li>परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का नाम निर्देशित जो वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी या उससे ऊपर का हो - विशेषज्ञ सदस्य</li> <li>विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा नामनिर्देशित कोई ऐसा अधिकारी जो प्रशासनिक क्षेत्र में स्तर-14 से नीचे का न हो ।</li> </ul>
2.	वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी' के पद पर	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग का सचिव या कोई वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' की श्रेणी से नीचे का न हो - अध्यक्ष</li> </ul>

प्रोन्नति के लिए	<ul style="list-style-type: none"> <li>परमाणु ऊर्जा विभाग या अंतरिक्ष विभाग का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का नाम निर्देशित जो वैज्ञानिक 'एच' श्रेणी या उससे ऊपर का हो - विशेषज्ञ सदस्य</li> <li>विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा नामनिर्देशित कोई ऐसा अधिकारी जो प्रशासनिक क्षेत्र में स्तर-15 से नीचे का न हो ।</li> </ul>
------------------	--

**नोट 1-** किसी ऐसे व्यक्ति को जो विभाग से अनुदान प्राप्त करता है या वित्त पोषित है या जो ऐसे प्राप्तकर्ता से निकट रूप से संबंधित है, उसे नियम 10 के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाएगा ।

**नोट 2** - जहां सरकार, स्वशासी निकाय और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारी समितियों के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किए जाते हैं, वे उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिसके लिए नियम 4, उपनियम (4) के अंतर्गत नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है ।

**नोट 3** - विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा ।

(5) नियम 6, उपनियम (4) के अंतर्गत गठित विभागीय पुष्टि समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पद का नाम वैज्ञानिक 'सी'	विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे -
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'सी'	1 विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्देशित, विभाग का सचिव या वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष 2 विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित 'जी' श्रेणी का एक वैज्ञानिक और संबद्ध बाह्य विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित एक वैज्ञानिक जो कि बाहरी विभाग का हो अर्थात् वह भारत सरकार के वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी वैज्ञानिक विभाग से भिन्न हो - सदस्य
2.	वैज्ञानिक 'एच'	3 विभाग के प्रशासनिक प्रभारी संयुक्त सचिव - प्रशासनिक सदस्य विभाग का सचिव - अध्यक्ष 2 दो वैज्ञानिक जो कि सरकारी विभाग में कार्यरत हों और सचिव की श्रेणी के हों - सदस्य

11. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

12. इंजीनियरी डिग्री के साथ भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व - इंजीनियरी में डिग्री रखने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त होता है, आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा या पदों पर चार वर्ष तक की अवधि की सेवा करने का दायी होगा जिसमें प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है ।

बशर्ते ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित अपेक्षा नहीं की जाएगी

(i) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त रूप में सेवा करना, और

(ii) साधारणतया चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उपर्युक्त रूप में सेवा करना ।

## 13. भारत में और विदेश में सेवा करने का दायित्व –

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए वैज्ञानिक भारत में तथा विदेशों में कहीं भी सेवा करने के दायी होंगे।

(2) नियुक्त किए गए वैज्ञानिक ऐसा प्रशिक्षण करने के दायी होंगे और उन्हें भारत में या विदेश में शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे जिसे नियंत्रण प्राधिकारी समय-समय पर निश्चित करते हैं।

(3) प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए भेजे गए किसी वैज्ञानिक से जिसकी अवधि छह मास या उससे अधिक हो, भारत से बाहर या भारत में प्राईवेट फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए किसी वैज्ञानिक के प्रशिक्षण की अवधि पर ध्यान दिए बिना केन्द्रीय सरकार में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक के लिए सेवा करने का एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी और यदि वह किसी कारण से विभाग को अपनी सेवा प्रदान करना बंद कर देता है तो ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् तीन वर्ष के प्रशिक्षण की अवधि के लिए प्रशिक्षण की पूरी लागत प्रतिदाय करने का दायी होगा।

## 14. छूट देने का अधिकार:

जहां केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के मामले में आदेश द्वारा छूट दे सकेगी।

## 15. व्यावृत्ति:

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है।

**पहली अनुसूची**

(नियम 2(ख), (च) और (3) देखिए)

पद नाम (1)	वर्गीकरण (2)	पदों की संख्या (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
वैज्ञानिक सी	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित)	31	स्तर – 11
वैज्ञानिक डी	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित)	12	स्तर – 12
वैज्ञानिक ई	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित)		स्तर – 13
वैज्ञानिक एफ	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित)	6	स्तर – 13 अ
वैज्ञानिक जी	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित)	1	स्तर – 14
वैज्ञानिक एच	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित)	4	स्तर – 15
	योग	54	

नोट 1 – वैज्ञानिक 'ई' के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं है, क्योंकि यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 2/41/97-पीआईसी, तारीख 9 नवंबर, 1998 में पुरःस्थापित किया गया है।

नोट 2 – वैज्ञानिक 'सी' 'डी' 'ई' 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' के पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

नोट 3 – वैज्ञानिक 'एच' के पद को उपांतरित अनुपूरक नमनीय योजना के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

**दूसरी अनुसूची**

[नियम 2(क), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1,3), 6(1), 7, 8, (1)]

**भाग 1**

शैक्षणिक योग्यता



- वैज्ञानिक 'सी' के लिए

(i) आवश्यक : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान में मास्टर डिग्री या पशु चिकित्सा विज्ञान या आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा या इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री हो।

(ii) बांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञानों में डॉक्टर आफ फिलासफी (पी.एचडी) या पशु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर या जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।

(ख) वैज्ञानिक 'एच' के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान में डॉक्टर आफ फिलासफी (पी0एच0डी0) या आयुर्विज्ञान में मास्टर या पशु-चिकित्सा विज्ञान में मास्टर या जैव-प्रौद्योगिकी या चिकित्सा या पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।

## भाग- 2

क्र0 सं0	पद का नाम	अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ रखने के पश्चात् अपेक्षित न्यूनतम अनुभव	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वैज्ञानिक 'सी'	पाँच वर्ष	चालीस वर्ष
2	वैज्ञानिक 'डी'	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	वैज्ञानिक 'ई'	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	वैज्ञानिक 'एफ'	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	वैज्ञानिक 'जी'	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
6	वैज्ञानिक 'एच'	बीस वर्ष	पचास वर्ष

**नोट 1.** जैव-प्रौद्योगिकी के अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव की यथावत प्रकृति नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित और विज्ञापन में उपदर्शित की जाएगी।

**नोट 2.** वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए अनुभव जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ अनुसंधान और विकास या प्रबंध और प्रशासन या योजना या औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थाओं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में कार्य के दायित्वपूर्ण पद का होगा।

**नोट 3.** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार वैज्ञानिक 'सी' और 'एच' के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

## तीसरी अनुसूची

[ नियम 9(4) और (12) देखिए ]

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	श्रेणी में न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वैज्ञानिक 'सी'	स्तर-11	चार वर्ष
2	वैज्ञानिक 'डी'	स्तर-12	चार वर्ष
3	वैज्ञानिक 'ई'	स्तर-13	पाँच वर्ष
4	वैज्ञानिक 'एफ'	स्तर-13 क	पाँच वर्ष

चौथी अनुसूची  
[ नियम 9(10), पाँचवी अनुसूची (1) देखिए ]  
वार्षिक कार्य रिपोर्ट (भाग क, ख, ग)  
भाग क  
रिपोर्टगत अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन

1. नाम:
2. पद नाम:
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य का क्षेत्र:
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए कार्य का संक्षिप्त वर्णन:
5. किए गए कार्य के मूल्यांकन और माप के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निष्पादन (आउटपुट) उपदर्शक:  
(जो अधिकारी के लिए समुचित हो)
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए कार्य से मुख्य निष्पादन (आउटपुट) की परिगणना:
7. किए गए नवाचार कार्य की अंतर्वस्तु (100 शब्दों में) :
8. पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान (यदि कोई है) रिपोर्ट किए गए मुख्य प्रभाव:
9. किए गए कार्य में उपयोग की गई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्य प्रणालियाँ:
10. नए या उद्दामी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित किए गए कार्य के लिए सुझाव (यदि कोई हो):
11. कार्य योजना या किए गए कार्यों में अधिकारी द्वारा आरंभ की गई नई प्रौद्योगिकियाँ, यदि कोई हो
12. कार्य में विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्वस्तु की कोई अन्य विशिष्टता:
13. वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्य में वैज्ञानिक और तकनीकी तत्वों का एक पृष्ठ का सारांश:
14. चयनित उपदर्शकों के अनुसार परिमाणीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निष्पादन (आउटपुट) (यथा उपाबंधित) :

रिपोर्टगत अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग ख

रिपोर्टकर्ता अधिकारी द्वारा मूल्यांकन

1. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्य रिपोर्ट की शुद्धता:  
(क) साधारणतः सटीकता  
(ख) अपेक्षित उपान्तरण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
2. किए गए कार्य की वैज्ञानिक योग्यता:  
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%)
3. किए गए कार्य की नवप्रवर्तन अंतर्वस्तु का संक्षिप्त सारांश:
4. वैज्ञानिक कार्य रिपोर्ट का साधारण मूल्यांकन (संक्षेप में)
5. अंतिम श्रेणीकरण  
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%)

रिपोर्टकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

## भाग ग

## आंतरिक जांच समिति रिपोर्ट

[नियम 9(11) देखिए]

1. रिपोर्ट किए गए कार्य की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अंतर्वस्तु का श्रेणीकरण:
2. मान्यताप्राप्त विनिर्दिष्ट नवोन्मेषी प्रवर्तन तत्व:
3. प्रमुख क्षेत्र में किए गए कार्य की प्रमुखता के बारे में संगत टिप्पणी:  
(शीर्ष 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, निचला 25%)
4. रेजीडेन्सी अवधि के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन:
5. किए गए कार्य की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी विनिर्दिष्ट विशिष्टताएं :  
6. रेजीडेन्सी अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य रिपोर्ट का समस्त श्रेणीकरण:  
(शीर्ष 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, निचला 25%)  
(समिति के सदस्यों के) नाम और हस्ताक्षर  
आन्तरिक जांच समिति के अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर

उपबंध

(वार्षिक कार्य रिपोर्ट के लिए)

1. विश्वविद्यालयों या सेमीनारों या औद्योगिक सम्मेलनों में दिए गए व्याख्यान  
(क) अभ्यावेशित  
(ख) आमंत्रित
2. सम्पादित या लिखी गई पुस्तकें
3. शोध प्रकाशन
4. लिए गए विषय पर तैयार की गई उच्च स्तरीय रिपोर्ट का विवरण या अन्यथा
5. तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्टें
6. सृजित की गई आंतरिक रिपोर्टें
7. विद्यमान स्कीमों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चिन्हित किए गए नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र या अंतराल
8. चिन्हित और विकसित की गई नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चल रही स्कीमों में वर्धित विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुट
9. परियोजनाओं के वैज्ञानिक संचालन के लिए तैयार किए गए डाटा आधार
10. देश भर में अनुसंधान और विकास के अवसंरचनात्मक आधार को बढ़ाने के लिए किए गए वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहल
11. प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए नए क्षेत्रों की पहचान और अनुवर्ती कार्रवाई
12. विकसित और अभिनियोजित परियोजना मानीटर पैरामीटर
13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए तैयार की गई प्रौद्योगिकी आसूचना या मूल्यांकन रिपोर्ट
14. विभिन्न समितियों में अंतर-मंत्रालीय चर्चाओं के लिए प्रदान किए गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुट
15. वर्ष के दौरान समाप्ति के लिए मूल्यांकित वैज्ञानिक परियोजनाओं की संख्या
16. आरंभ किए गए नेटवर्क कार्यक्रम (कृपया अपने योगदान की संख्या और मुख्य विशेषताएं बताएं)  
(क) लैब से लैब के बीच

(ख) लैब और उद्योग

(ग) द्विपक्षीय

(ध) बहुपक्षीय

17. वर्ष के दौरान तैयार की गयी नीतियां या बिल

18. पुरस्कार या संस्थाओं/अकादमियों की सदस्यता

19. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

#### पाँचवी अनुसूची

[नियम 9(22) देखिए]

उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए निबंधन और शर्तें

1. चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक कार्य रिपोर्ट अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए0पी0ए0आर0) के साथ भरा जाएगा और उस पर रिपोर्ट देने वाले अधिकारी से रिपोर्ट कराएगा।

2. आंतरिक जांच समिति, वार्षिक कार्य रिपोर्ट के भाग ग में वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक अंतर्वस्तु पर रिपोर्ट करेगी जो बाह्य मूल्यांकन समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। (विभागीय मूल्यांकन समिति या विभागीय प्रमुख समीक्षा समिति, यथास्थिति)

3. आंतरिक जांच समिति, नियम 10 के उप नियम (4) के खंड (क) और (ख) के निबंधनों के अनुसार गठित होगी।

4. बाह्य मूल्यांकन समिति यथाविनिर्दिष्ट नियम 10 के उप नियम (2) और (3) और नियम 4 के उपनियम (5) के निबंधनों के अनुसार गठित होगी।

5. यदि आवश्यक हो, समितियों की संरचना को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान अनुदेशों के अनुरूप लाने के लिए इन नियमों में बाह्य मूल्यांकन समिति के लिए उपबंधों और अन्य उपबंधों में उपयुक्त संशोधन पर विचार किया जा सकेगा।

6. बाह्य मूल्यांकन समिति अर्थात् विभागीय मूल्यांकन समिति या विभागीय प्रमुख समीक्षा समिति वैज्ञानिकों के यथावत प्रोन्नति के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए दो स्तर पर जांच करेगी।

7. बाह्य मूल्यांकन समिति, अर्थात् विभागीय मूल्यांकन समिति या विभागीय प्रमुख समीक्षा समिति उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन विचार करने के लिए योग्यता को न्यायोचित ठहराते हुए किए गए कार्य के विनिर्दिष्ट अन्तर्वस्तु का एक पृष्ठ में सारांश अभिलिखित करेगी और प्रमाणित करेगी कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन यथावत उन्नयन के लिए सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

#### छठी अनुसूची

[नियम 9(23) देखिए]

#### क. क्षेत्रीय अनुभव

1. उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन उच्चतर श्रेणियों में वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवालय में पदों पर भर्ती किए गए वैज्ञानिकों के पास वैज्ञानिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनुसंधान तथा विकास में क्षेत्रीय अनुभव अपेक्षित होगा।

2. वैज्ञानिक 'एफ' की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए क्षेत्रीय अनुभव दो वर्ष का होगा और वैज्ञानिक 'जी' की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए क्षेत्रीय अनुभव पाँच वर्ष का होगा।

3. अनुभव में संस्थान या संगठन के ध्येय और उद्देश्य, कार्मिक की अहर्ताएं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए परिमाणात्मक अपेक्षाएं होगी

#### ख. वैज्ञानिक क्रियाकलाप और सेवाएं

(क) मौलिक या मूलभूत अनुसंधान:

(i) नए वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को मूल शोध का मौलिक या मूलभूत अनुसंधान निष्पादित करना होगा यह आवश्यक रूप से किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक उद्देश्य या उपयोजन के लिए निदेशित नहीं किया गया है ;

(ii) अभ्यर्थी के पास वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव होगा, संगठन में पद भार ग्रहण करने के पश्चात मौलिक अनुसंधान में डॉक्टरल या पश्च डॉक्टरल डिग्रियों पर बितायी गई अवधि उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के प्रयोजन के क्षेत्रीय अनुभव के रूप में विचारणीय होगी।

(ख) अनुप्रयुक्त अनुसंधान :

(i) अभ्यर्थी ने नया वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मूल अन्वेषण में अनुप्रयुक्त शोध किया हो जो विशिष्ट व्यावहारिक उद्देश्य या ध्येय के लिए निर्देशित हो;

(ii) अभ्यर्थी के पास वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव होगा, संगठन और अन्य अनुसंधान में पद भार ग्रहण करने के पश्चात मौलिक अनुसंधान में डॉक्टरल या पश्च डॉक्टरल डिग्रियों पर बितायी गई अवधि उपांतरित नमनीय अनुपूरक स्कीम के प्रयोजन के क्षेत्रीय अनुभव में शामिल होंगी।

(ग) प्रयोगात्मक विकास:

(i) अभ्यर्थी, के पास विभाग की कार्य रूपरेखा और अधिदेश नई या सारयुक्त रूप से उन्नत सामग्री, युक्तियां, उत्पाद, प्रसंस्करण, प्रणालियां या सेवाएं निर्मित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए;

(ii) अभ्यर्थी के कार्य में नए या नवप्रवर्तक प्रणालियों, व्यवहारों, माडलों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग शामिल होंगे और इसमें वैज्ञानिक ज्ञान के नेमी उपयोग को प्रतिबिम्बित नहीं किया जाएगा।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों का संवर्धन:

(i) अभ्यर्थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों में शामिल है जो, वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सेवाओं के संवर्धन में अनुसंधान और विकास से प्रत्यक्ष रूप से सहबद्ध हैं;

(ii) अभ्यर्थी को जैवप्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, जैवप्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाएं मिशन परियोजनाएं, जैव-प्रौद्योगिकी विनियम और ऐसे अन्य कार्यों में समन्वय करना होगा।

[फा. सं. ए-12011/07/2017-स्थापना]

चन्द्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2018

**G.S.R. 1174(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Biotechnology, (Group 'A', Gazetted, Non Ministerial Scientific Posts) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' Scientific Posts in the Department of Biotechnology, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Department of Biotechnology, (Group 'A' Scientific Posts) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "age" means the upper age-limit as specified in column (4) Part II of the Second Schedule;
  - (b) "candidate" means the person who is eligible for consideration for any post specified in the First Schedule;

- (c) “competent authority” means the authority specified by the Central Government as such, from time to time;
- (d) “controlling authority” means the Secretary in the Department of Biotechnology;
- (e) “Department” means the Department of Biotechnology;
- (f) “post” means a post of Scientist as specified in column (1) of the First Schedule;
- (g) “Schedule” means a Schedule appended to these rules.
3. Number of posts, classification and pay level in the pay matrix- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the First Schedule to these rules.
4. Educational qualifications, experience, method of recruitment, etc.-
- (1) The educational qualification for a post shall be as specified in Part-I of the Second Schedule and the specific area of biotechnology, as may be required for the post concerned shall be decided by the controlling authority and indicated in the advertisement.
- (2) The candidate for the post referred to in sub-rule (1) shall have the experience in research and development in industrial or academic institutions or an organisation of science and technology after obtaining the minimum educational qualifications as specified in Part-II of the Second Schedule.
- (3) (i) The candidate for the post of the level of Scientist H or Level-15 shall have the experience of a senior level Scientist capable of independently handling science and technology programme and as specified in Part-II of Second Schedule.
- (ii) The controlling authority shall decide the exact nature of experience required in the area of biotechnology which shall be indicated in the advertisement for the said post.
- (4) (i) The recruitment for the post of Scientist-‘C’ shall be made by direct recruitment.
- (ii) The recruitment for the post of Scientist H or Level-15, shall be made either by direct recruitment or on deputation or absorption basis.
- (iii) The controlling authority shall decide the particular method of appointment for each vacancy of Scientist H or Level-15 before advertising the post and shall be indicated in the advertisement in accordance with the provisions of sub-rules (1) and (3) of rule 4.
- (iv) The recruitment for the post of Scientists ‘D’, ‘E’, ‘F’ and Scientist ‘G’ shall be made by in-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme on completion of minimum residency period in the existing grade as specified in the Third Schedule.
- (5) Any recruitment or confirmation made by the method specified in sub-rule (4) of rule 4 shall be made on the recommendation of the Committees specified in rule 10.
- (6) The Committees referred to in sub-rule (5) of rule 4 shall make their recommendations on the basis of interview held with candidates for all posts filled under method of recruitment under clauses (i) and (ii) of sub-rule (4) of rule 4 and on the basis of interview and evaluation of past performance of scientists in the Department for all posts filled by the method of recruitment under clause (iv) of sub-rule (4) of rule 4:
- Provided that for making recruitment to the posts, the Committee constituted under sub-rule (5) of rule 4 shall comply with the methodology of assessment or selection (including the number of candidates to be called against vacancies advertised) which has been duly approved by the competent authority before making advertisement for recruitment for the post.
- (7) The recommendation of the Committee as specified at sub-rule (5) of rule 4 shall be placed for approval of the competent authority and shall be effective from the date of approval of the competent authority or the date of joining of the candidate, whichever is later.
5. Age-limit and nationality.- (1) The upper age-limit for direct recruitment shall be as specified in column (4) of Part-II of the Second Schedule.

- (2) The upper age-limit for post in Scientist 'H' filled on deputation basis shall be fifty eight years.
- (3) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep).
- (4) Only an Indian citizen shall be eligible for appointment against posts of Scientists 'C' and 'H' filled in the manner specified in clauses (i) and (ii) of sub-rule (4) of rule 4.
6. Direct recruitment.- (1) The candidate possessing the educational qualification and experience as specified in the Second Schedule shall be eligible for appointment by direct recruitment in the manner specified in sub-rules (6) and (7) of rule 4, on the recommendations of the Committee constituted under sub-rule (5) of rule 4 and as specified in sub-rule (1) of rule 10.
- (2) If a Departmental candidate is selected for appointment to any post by direct recruitment, the post shall be deemed to have been filled by direct recruitment.
- (3) The candidate selected for appointment as Scientist 'C' or Scientist 'H' on direct recruitment basis shall be appointed on probation for a period of one year.
- (4) The confirmation of the candidate appointed on probation under sub-rule (3) shall be considered by the Departmental Confirmation Committee specified in sub-rule (5) of rule 10.
7. Absorption.- The candidate from the Central Government or the State Government shall be eligible for absorption under clause (ii) and (iii) of sub-rule(4) of rule 4 in the manner specified in sub-rules (5), (6) and (7) of the said rule and subject to fulfilment of the following conditions, namely :-
- (a) the candidate possesses the minimum educational qualification and experience as specified in the Second Schedule; and
- (b) the candidate holds a post analogous to the post applied for, on regular basis in the parent cadre or Department.
8. Deputation.- (1) The candidate from other Ministries or Departments of the Central Government or the State Governments or Union territories or Universities or Public Sector Undertakings or autonomous statutory bodies or Institutions and recognised research organisations or institutions funded by the Government may be appointed on deputation basis for positions specified in clause (ii) of sub-rule (4) of rule 4 in the manner specified in sub-rules (5), (6) and (7) of rule 4 and subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-
- (i) the candidate possesses minimum educational qualification and experience as specified in the Second Schedule;
- (ii) the candidate holds a post analogous to the post applied for or has worked for at least five years on the immediate lower post on regular basis in the parent cadre or Department;
- (iii) provisions of sub-rule (1) of rule 5 regarding age-limit for candidates recommended for appointment on Deputation.
- (2) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the present appointment on deputation in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily be five years.
- (3) The vacancies caused on account of the incumbents being away on deputation or on long illness or on study leave or due to any other reason for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from the officers of the Central Government in the manner specified in clause (ii) of sub-rule(4) of rule 4.
9. Promotion through the Modified Flexible Complementing Scheme (in situ promotion).- (1) The Modified Flexible Complementing Scheme as notified by the Department of Personnel and Training from

time to time shall apply in the matter of insitu promotions for the scientists in the Department in the grades of Scientists 'D', 'E', 'F', 'G' only, which shall be personal to the scientist concerned.

- (2) If the Committee specified in sub-rules(2) and (3) of rule 10, as the case may be, finds the scientist fit for promotion to the posts of Scientist 'D' or Scientist 'E' or Scientist 'F' or Scientist 'G', as the case may be, and such post is not available within the sanctioned strength at that time, the promotion may be given by upgrading the post of Scientist 'C' to Scientist 'D', Scientist 'D' to Scientist 'E', Scientist 'E' to Scientist 'F' and Scientist 'F' to Scientist 'G'.
- (3) There shall be complete inter-changeability of posts without any restriction except that the total number of incumbents shall not exceed the total number of posts in Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E', Scientist 'F' and Scientist 'G' put together.
- (4) The minimum residency period, that is, the qualifying service required for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme for each grade shall be as specified in the Third Schedule.
- (5) On vacancy of a post by retirement or resignation or death or otherwise of a scientist, the post shall revert to the lowest level of Scientist 'C', at which clear vacancy exists at that time.
- (6) The competent authority shall review for promotion through the Modified Flexible Complementing Scheme twice a year.
- (7) The cases maturing for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme during January to June of the year shall be taken up for review from the month of April of that year and the cases maturing for promotion during July to December of a year shall be taken up for review from the month of October of that year.
- (8) The date of promotion for those found suitable for promotion under the scheme shall be the date on which the competent authority approves the promotion or the date of assumption of charge of the post, whichever is later.
- (9) (a) There shall be two level assessment for scientists considered under the Modified Flexible Complementing Scheme.  
(b) The First Level would be internal for screening purposes and the next level shall consist of majority of external members.  
(c) The assessment board for determining suitability for promotion shall have majority of members possessing expertise in the field and greater emphasis shall be placed on achievement as evaluated by the independent peer group rather than seniority.  
(d) The benefit of Modified Flexible Complementing Scheme shall be extended to Scientists in the Department who are involved in creating new scientific knowledge or innovative engineering technological or medical techniques or which are predominantly involved in professional research and development or application of scientific knowledge.
- (10) The scientist eligible for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme shall fill up the annual work report format (Part-A) specified in the Fourth Schedule along with the Annual Performance Appraisal Report and would get reported upon by the Reporting Officer.
- (11) (a) The scientist eligible for promotion under the Modified Flexible Complementary Scheme and who meets the benchmark 'Very Good' for Scientist 'D' and above would be screened in by the Internal (Screening)Committee as specified in clauses (a) and (b) of sub-rule(4) of rule10 which shall evaluate the annual work reports in relation to the criteria for upgradation under the Modified Flexible Complementing Scheme.  
(b) The annual work report on the scientific content of the work done by the Scientist of the Department in Part 'C' of the annual work report in the Fourth Schedule and the report shall be made available to the External Assessment Committee (Departmental Assessment Committee orDepartmental Peer Review Committee) as the case may be which is constituted under sub-rule (5) of rule 4 and specified in sub-rule (2) and (3) of rule 10.



- (12) The exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading, may be granted relaxation in the residency period, that is, qualifying service, the relaxation being not more than one year on any single occasion and such a relaxation shall be limited to a maximum of two occasions in their entire career.
- (13) The External Assessment Committee, namely, the Departmental Assessment Committee constituted under sub-rule (5) of rule 4 and specified in sub-rule (2) of rule 10 shall undertake level-2 external screening in respect of Scientists 'C' and 'D' and report specifically through a summary of the specific content of the work done justifying the merit for consideration under Modified Flexible Complementing Scheme and certify that the Scientists recommended meets with all the criteria for in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.
- (14) The External Assessment Committee, namely, the Departmental Peer Review Committee constituted under sub-rule (5) of rule 4 and specified in sub-rule (3) of rule 10 shall undertake level-2 external screening in respect of Scientists "E" and "F" and report specifically through a summary of the specific content of the work done justifying the merit for consideration under Modified Flexible Complementing Scheme and certify that the Scientists recommended meets with all the criteria for in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.
- (15) There shall be no consideration of retrospective grant of in situ promotion under the modified flexible complementing scheme.
- (16) In case of officers undergoing training or study leave or on deputation in India or abroad under FR 51 shall be considered for in-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme to the next higher grade with effect from the date they would have completed the minimum residency period, had they not proceeded on training or study leave or on deputation subject to fulfillment of following conditions, namely: -
- (i) the period of such training or study leave or on deputation is treated as on duty under FR 9 (6b); and,
  - (ii) the Scientist have been approved for in-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme to the next higher grade.
- (17) The following periods of service shall count towards the minimum residency period necessarily required to be put up in the lower grade for promotion to the next higher grade, namely: -
- (i) the period spent on deputation or foreign service to another scientific post; or
  - (ii) the period of study leave or any other leave taken for improving the academic accomplishments;
  - (iii) the period of maternity leave and leave taken in continuation of maternity leave upto a period of one year;
  - (iv) the period of earned leave upto one hundred and eighty days.
- (18) The period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post and the period of leave on medical ground, leave such as earned leave sanctioned for the period exceeding one hundred and eighty days at a time, extraordinary leave, or any other leave as specified by the competent authority availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.
- (19) The regular services rendered excluding ad hoc service, non-qualifying service in a post shall count for the purpose of review for promotion to the next higher grade under the Modified Flexible Complementing Scheme.
- (20) A scientist not found fit for promotion after a review by the External Assessment Committee constituted under sub-rule (5) of rule 4 and specified in sub-rule (2) and (3) of rule 10 as the case may be, shall become eligible for the next review only after a lapse of one year from the date of such review.
- (21) In case a Scientist is not qualified for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme during three successive years, he shall be eligible for upgradation to the next higher

grade on completion of ten or twenty or thirty years of service subject to the provisions of Modified Assured Career Progression Scheme and after completion of the prescribed residency in the said grade, the Scientists shall again be considered for upgradation to the next higher grade under the Modified Flexible Complementing Scheme.

- (22) The criteria to be followed for considering promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme shall be as specified in the Fifth Schedule.
- (23) The criteria for field experience for considering promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme shall be as specified in the Sixth Schedule.

10. Composition of the Committees.—(1)The Expert Selection Committee constituted under sub-rule (5) of rule 4 for making recommendation to posts specified in the First Schedule read with clause (f) of rule 2, clauses (i) and (ii) of sub-rule (4) of rule 4, rule 6, rule 7 and rule 8 shall consist of the following persons, namely:-

<i>Sl. No.</i>	<i>Name of post.</i>	<i>Composition of the Committee.</i>
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'C'	1. Chairman- Secretary of the Department; 2. Members- Two experts from outside the Department to be nominated by the Secretary of the Department who shall be an officer not below level-14; 3. Member Administration- Joint Secretary in-charge of Administration in the Department.
2.	Scientist 'H'	1. Chairman- Secretary of the Department; 2. Member-Two Secretaries of the other Scientific Departments to be nominated by Secretary of the Department; 3. Members- Two experts specialising in the field of Scientific activity from outside the Department to be nominated by the Secretary of the Department; 4. Member Administration- To be nominated by Secretary of the Department.

- (2) The External Assessment Committee, namely,- the Departmental Assessment Committee constituted under sub-rule (13) of rule 9 shall consist of the following persons, namely:-

<i>Name of post.</i>	<i>Composition of the Departmental Assessment Committee.</i>
(1)	(2)
Scientist 'C' to Scientist 'D' and, Scientist 'D' to Scientist 'E'	1. Chairman- Secretary of the Department; 2. Expert members-Two experts from outside the Department to be nominated by the Secretary of the Department who shall be an officer not below level-14; 3. Member Administration: Joint Secretary in-charge of administration in the Department.

- (3) The External Assessment Committee, namely, the Departmental Peer Review Committee constituted under sub-rule (14) of rule 9 shall consist of the following persons, namely,-

Name of post.	Composition of the Departmental Peer Review Committee.
(1)	(2)
For promotion from (a) Scientist 'E' to Scientist 'F' (b) Scientist 'F' to Scientist 'G'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman: Secretary of the Department;</li> <li>2. Members: Two Secretaries of the other Scientific Departments (or their representatives who are not below the rank of Joint Secretary to be nominated by the Secretary of the Department;</li> <li>3. Members: Two eminent Scientists not below the rank of Joint Secretary specialised in the field of scientific activity to be nominated by Secretary of the Department;</li> <li>4. Member Department of Personnel and Training: Joint Secretary rank officer to be nominated by Department of Personnel and Training.</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman: Secretary of the Department;</li> <li>2. Member: Two Secretaries of the other Scientific Departments (or their representatives who are at least in Additional Secretary rank) to be nominated by the Secretary of the Department;</li> <li>3. Member: Two eminent Scientists not below the rank of Additional Secretary specialised in the field of scientific activity;</li> <li>4. Member Department of Personnel and Training: An officer not below the rank of Additional Secretary to be nominated by the Department of Personnel and Training.</li> </ol>

- (4) The Internal shortlisting or screening committee for shortlisting of candidates specified in sub-rule (4) of rule 4 whose report shall be placed before committees referred into in sub-rules (1), (2), and (3) of rule 10 as the case may be shall consist of the following persons, namely:-

Sl. No.	Name of post.	Composition of Committee.
(1)	(2)	(3)
1.	For promotion from the post of (i) Scientist 'C' to the post of Scientist 'D', (ii) Scientist 'D' to the post of Scientist 'E', and, (iii) Scientist 'E' to the post of Scientist 'F'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman-Secretary of the Department or a Scientist who shall not be below the rank of Scientist 'H';</li> <li>2. Expert member- A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in rank of Scientist 'G' or above;</li> <li>3. Member Administration- An officer not below level-14 with administrative background to be nominated by Joint Secretary (Administration) of the Department.</li> </ol>
2.	For promotion from the post of Scientist 'F' and to the post of Scientist 'G'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman-Secretary of the Department or a Scientist who shall not be below the rank of Scientist 'H';</li> <li>2. Expert Member- A nominee of the Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation in rank of Scientist 'H' or above;</li> <li>3. Member Administration-An officer not below level-15 with</li> </ol>

		administrative background to be nominated by Secretary of the Department
--	--	--

**Note 1.**-No person who is a recipient of grants or funding from the Department or who is closely related to such a recipient shall be invited as a member of any committee formed under rule 10.

**Note 2.**-Where officers of the Government, autonomous bodies and public sector undertakings are nominated as members of the committees, they shall be at least one level above the post to which the appointment is being recommended to be made under sub-rule (4) of rule 4.

**Note 3.**-Chief Vigilance Officer of the Department shall not be member of any committee.

(5) The Departmental Confirmation Committee constituted under sub-rule (4) of rule 6 consist of the following persons, namely:-

Sl. No.	Name of post.	Composition of the Departmental confirmation committee for considering confirmation of.-
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'C'	1. Chairman- Secretary of Department or Scientist 'G' rank officer of the Department to be nominated by the Secretary of Department; 2. Member- One Scientist 'G' rank Officer, to be nominated by the Secretary of the Department, and one Scientist from outside the Department from other Scientific Departments of Government of India in rank of Scientist 'G', to be nominated by the Secretary of the concerned outside Department; 3. Member Administration- Joint Secretary in-charge of Administration in the Department.

2.	Scientist 'H'	1. Chairman- Secretary of Department; 2. Members- Two scientists working in the Government Departments in the rank of Secretary.
----	---------------	---

**10.** Disqualifications.-No person.-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Liability to serve in the defence services for recruits with engineering degree.- Any person with a degree in engineering appointed to any post under these rules shall, if so required, be liable to serve in any

defence services or posts connected with the defence of India for a period of not more than four years including the period, if any, spent on training:

Provided that such person shall not be required.-

- (i) to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment; and
- (ii) ordinarily, to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

13. Liability to serve in India and outside.-(1) The Scientists appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside India.

(2) The Scientists appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on such courses of instruction in India or abroad as the Central Government may decide from time to time.

(3) A Scientist detailed for training or course, the duration of which is six months or more or a Scientist detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be required to execute a bond to serve the Central Government for a minimum period of three years and shall be liable to refund in full the cost of the training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service from the Department.

14. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### THE FIRST SCHEDULE

[See rules 2(b), (f), (g) and (3)]

Designation.	Classification.	Number of posts.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Scientist 'C'	General Central Service (Group 'A' Gazetted)	31	level-11
Scientist 'D'	General Central Service (Group 'A' Gazetted)	12	level-12
Scientist 'E'	General Central Service (Group 'A' Gazetted)		level-13
Scientist 'F'	General Central Service (Group 'A' Gazetted)	6	level-13A
Scientist 'G'	General Central Service (Group 'A' Gazetted)	1	level-14
Scientist 'H'	General Central Service (Group 'A' Gazetted)	4	level-15
	Total	54	

Note 1: There is no sanctioned post of Scientist 'E', since it was introduced in the light of Department of Personnel and Training Office memorandum No. 2/41/97-PIC, dated the 9<sup>th</sup> November, 1998.

Note 2: Number of posts of Scientist 'C', 'D', 'E', 'F' and Scientist 'G' are subject to variation.

Note 3: The posts of Scientist 'H' are excluded from the purview of Modified Flexible Complementing Scheme.

### THE SECOND SCHEDULE

[See rule 2(a), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1,3), 6(1), 7, 8(1)]

#### PART-I

Educational qualification:

(A) For Scientist 'C'

(i) Essential: Master of Science in Life Sciences or Bachelor of Veterinary Science or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in the field of Biotechnology from a recognised University.

(ii) Desirable: Doctor of Philosophy in Life Sciences or Master of Veterinary Science or Master of Technology in the field of Biotechnology from a recognised University.

(B) For Scientist 'H':

Doctor of Philosophy in Life Sciences or Master of Drugs or Master of Veterinary Science or Master of Technology in the field of Biotechnology or Medicine or Veterinary Science from a recognised University or Institute.

#### PART- II

Sl. No.	Name of post.	Minimum experience required after possessing requisite educational qualifications.	Upper age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'C'	Five years	forty years
2.	Scientist 'D'	Not applicable	Not applicable
3.	Scientist 'E'	Not applicable	Not applicable
4.	Scientist 'F'	Not applicable	Not applicable
5.	Scientist 'G'	Not applicable	Not applicable
6.	Scientist 'H'	twenty years	fifty years

Note 1: The exact nature of experience in the required area of Biotechnology shall be decided by the controlling authority and indicated in the advertisement.

Note 2: The experience for the post of Scientist 'H' shall be in responsible position of work in research and development or management and administration or planning or industrial or academic institutions or Science and Technology organisations with a broad perspective of biotechnology.

Note 3: Upper age-limit for Scientist 'C' and 'H' shall be relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

## THE THIRD SCHEDULE

[See rule 9 (4) and(12)]

Sl. No.	Name of post.	Level in the pay matrix.	Minimum residency period in the grade.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'C'	level-11	Four years
2.	Scientist 'D'	level-12	Four years
3.	Scientist 'E'	level-13	Five years
4.	Scientist 'F'	level-13A	Five years

## THE FOURTH SCHEDULE

[See rule 9 (10), Fifth Schedule (1)]

Annual Work Report (Part A,B,C)

## PART A

## SELF ASSESSMENT BY THE OFFICER REPORTED UPON

1. Name:
2. Designation:
3. Area of Science and Technology Function:
4. Brief Description of Science and Technology work function:
5. Science and Technology output indicators for assessment and measurement of work function (as appropriate to the officer):
6. Enumeration of major outputs from Science and Technology Function:
7. Innovation content of work done (in 100 words):
8. Major impact reported during the financial year (if any) for work done during previous three years:
9. Scientific and technological methodologies used in the work function:
10. Suggestions (if any) for work functions based on new or emerging scientific principles:
11. New technologies if any introduced by the officer in work plan or functions:
12. Any other highlight of special Science and Technology content in the work:
13. One-page summary of the scientific and technical elements in the work done during the financial year:
14. Quantified Science and Technology outputs as per the selected indicators (as annexed):

Signature of the officer reported upon

## PART B

## ASSESSMENT BY THE REPORTING AUTHORITY

1. Accuracy of the Science and Technology work report

- (a) Generally accurate
- (b) Modifications needed (please specify)
- 2. Scientific merit of the work done  
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)
- 3. Short summary of the innovative content of the work done
- 4. General assessment of the scientific work report (in brief)
- 5. Final grading  
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)

Signature of the Reporting Officer

PART C  
INTERNAL SCREENING COMMITTEE REPORT

[See rule 9 (11)]

- 1. Grading of the Science and Technology content of work reported:
- 2. Specific Innovation elements recognized:
- 3. Relative Assessment of the work reported in relation to Peers in the area:  
(Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)
- 4. Assessment of the work done during the residency period:
- 5. Specific highlights of the Science and Technology content of the work done:
- 6. Overall grading of the Science and Technology work report for the residency period:  
(Top 10%, 10-33%, 33-50% , 50-75%, Bottom 25%)

Name and Signatures of the  
(Members of the Committee)

Name and Signature of  
Chairman of Internal Screening Committee

ANNEXURE  
(To Annual Work Report)

- 1. Lectures delivered in universities or seminars or industry meets
  - (a) Enrolled
  - (b) Invited
- 2. Books edited or written
- 3. Research publications
- 4. State-of-the Art Reports prepared on the subject handled or otherwise
- 5. Annual reports prepared
- 6. Internal reports generated
- 7. New Science and Technology area or gap identified for enlarging the scope of the existing schemes
- 8. New Science and Technology identified and nurtured and Science and Technology inputs added to ongoing schemes
- 9. Data bases prepared for scientific handling of the projects
- 10. Scientific and evidence-based initiatives taken to enlarge the infrastructure base of research and development across the country



11. Identification of new areas for demonstration of technologies and follow-up:
12. Project Monitoring Parameters evolved and deployed
13. Technology intelligence or assessment report prepared for Science and Technology
14. Science and Technology inputs provided to inter-Ministerial discussions in various committees
15. Number of projects scientifically evaluated for closure during the year
16. Networked programmes initiated (please give numbers and salient features of your contribution)
  - (a) Between lab to lab
  - (b) Lab and industry
  - (c) Bilateral
  - (d) Multilateral
17. Policies or Bills prepared during the year :
18. Awards or Membership of Institutions/ Academies
19. Others (please specify)

#### THE FIFTH SCHEDULE

[See rule 9(22)]

#### TERMS AND CONDITIONS FOR PROMOTION UNDER THE MODIFIED FLEXIBLE COMPLEMENTING SCHEME

1. The annual work report specified in the Fourth Schedule shall be filled in by the officer along with the Annual Performance Appraisal Report and would get reported upon by the Reporting Officer.
2. The internal screening committee would report on the scientific content of work done by the Scientist in Part 'C' of the annual work report which would be made available to the external assessment committee (Departmental Assessment Committee or Departmental Peer Review Committee, as the case may be)
3. The internal screening committees shall be constituted in terms of clauses (a) and (b) of sub-rule (4) of rule 10.
4. The external assessment committee shall be constituted in terms of sub-rule (5) of rule 4 and as specified in sub-rules (2) and (3) of rule 10.
5. If necessary, suitable amendment to the provisions for external assessment committee in these rules, and other provisions may be considered to bring the composition of the committees in tune with extant instructions of the Department of Personnel and Training.
6. The external assessment committee, namely, the Departmental Assessment Committee or Departmental Peer Review Committee as the case may be shall undertake level-two screening for assessment of Scientists considered for in-situ promotion.
7. The external assessment committee, that is, the Departmental Assessment Committee or Departmental Peer Review Committee, as the case may be, shall record specifically through one-page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under Flexible Complementing Scheme and shall certify that the scientists recommended meet with all the criteria for in-situ promotion under Modified Flexible Complimenting Scheme.

#### THE SIXTH SCHEDULE

[See rule 9 (23)]

#### **A. Field Experience**

1. The candidate recruited to the posts in the Secretariat of the Scientific Ministries or Departments to higher grades under the Modified Flexible Complementing Scheme shall have the field experience in research and development and experience in implementation of scientific projects.

2. For promotion to the grade of Scientist 'F', the officer shall have two years field experience and for promotion to the grade of Scientist 'G' the officer shall have field experience of five years.

3. The experience shall cover the aims and objectives of the institution or organisation, qualifications of the personnel, qualitative requirements for; performance of various types of activities.

**B. Scientific Activities and Services**

(a) Fundamental or Basic research:

- (i) The candidate shall have performed fundamental or basic research of original investigation to gain new scientific knowledge, not necessarily directed towards any specific practical aim or application;
- (ii) The candidate shall have experience of working in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in basic research after joining an organisation and other research shall be considered as field experience for the purpose of the Modified Flexible Complementing Scheme.

(b) Applied Research:

- (i) The candidate shall have done applied research of original investigation to gain new scientific or technical knowledge directed towards a specific practical aim or objective;
- (ii) The candidate shall have experience of working in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in applied research after joining an organization and other research would constitute field experience for the purpose of the Modified Flexible Complementing Scheme.

(c) Experimental Development:

- (i) The candidate shall have adequate scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services as per the mandate and work profile of the Department.
- (ii) The work of the candidate shall involve application of scientific knowledge for creation of new or innovative systems, practices and models and shall not reflect routine use of scientific knowledge.

(d) Promotion of Science and Technology activities:

- (i) The candidate is involved in science and technology activities which are directly linked to research and development in terms of promoting the scientific activities and services.
- (ii) The candidate shall have coordinated research and development programs in biotechnology, national and international network projects in biotechnology, mission mode projects, biotechnology regulation and such other works.

[F. No A-12011/07/2017-Estt.]

CHANDRA PRAKASH GOYAL, Jt. Secy.